(360)

**बिहार सरकार**
**परिवहन विभाग**

पत्रांक–02/सी0एम0टी0–80/2012 ....5551 परि0 पटना, दिनांक– 14/9/16

**आदेश**

**"श्री कनिष्क सिन्हा, प्रबंध निदेशक Jaspar Motors Pvt. Ltd. द्वारा E-Rickshaw के संबंध में समर्पित Representation पर आदेश।"**

यह मामला श्री कनिष्क सिन्हा, प्रबंध निदेशक Jaspar Motors Pvt. Ltd. द्वारा E-Rickshaw के Patent के संबंध में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर याचिका W. P.–8290(W)/2015, W. P. – 27399 (W)/2015, W. P. – 27403 (W)/2015 में दिनांक 18.02.2016 को पारित आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P(C) No. :–6316/2016 में दिनांक 11.03.2016 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 24.02.2016 को समर्पित Representation के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.08.2016 को की गई सुनवाई के पश्चात् नियमानुसार आदेश पारित किया जा रहा है। श्री सिन्हा द्वारा सुनवाई के क्रम में लिखित बयान में समर्पित किया गया है।

2. श्री सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर उक्त writ (याचिका) मुख्यतः उनके द्वारा आविष्कार किए गए Battery operated vehicles (E-Rickshaw), जिसका उनके पास Controller General of Patents, Design & Trade marks द्वारा Patent Certificate no.–254875 दिनांक 28.12.2012 निर्गत है, को कुछ कंपनियों द्वारा नकल कर अथवा चुराकर E-Rickshaw का निर्माण कर बेचा जा रहा है, के बारे में है। उनका दावा है कि Patent धारक होने के बावजूद इसके विरूद्ध श्री सिन्हा को किसी प्रकार की Royality, E-Rickshaw निर्माता कंपनी द्वारा नहीं दी जा रही है। श्री सिन्हा का कहना है कि विश्व में सर्वप्रथम बैट्री से चलने वाले वाहन का आविष्कार उनके द्वारा किया गया था एवं भारत में इसका Patent कराने हेतु उनके द्वारा Patent Office, Government of India के अनुमोदन हेतु दिनांक 02.05.2005 को प्रस्तुत किया गया था।

उनके द्वारा प्रस्तुत कागजात का अवलोकन करने से यह भी ज्ञात होता है कि Controller General of Patent Design & Trade marks द्वारा इनके Invention "A fuel cell system and an Efficient Eco-Friendly Vehicle Mountes with Fuel cell system" को दिनांक 28.12.2012 को Patent Grant किया गया। उक्त वस्तु स्थिति एवं विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है :–

(a) Direction to pay 10% royality to the petitioners from the each and every Dealers/ Manufacturers/ Traders/ Inparters/ Exposters of E-Rickshwas or eco – friendly vehicles.

(b) Regulating the Price of existing E-Rickshaws from Rs. 1.5 lacs to Rs. 35 thousand/ E-Rickshaw or eco-friendly vehicles.

(c) Promote manufacturing of make in India brand of E-Rickshaw or eco-friendly vehicles rather promoting chinese interior quality hazardaus high price E-Rickshaw.

3. इस सन्दर्भ में श्री सिन्हा द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के समक्ष दिए गए अभ्यावेदन के सन्दर्भ में मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.04.2016 को पारित आदेश एवं परिवहन विभाग, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश द्वारा श्री सिन्हा के Representation के संबंध में आदेश/मंतव्य क्रमशः दिनांक 10.06.2016 एवं दिनांक 13.07.2016 पारित किया गया है।

4. यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि श्री सिन्हा द्वारा पूर्व में दिनांक 06.11.2012 को उनके द्वारा निर्मित (Auto Rickshaw invented by him) हेतु परिवहन विभाग, बिहार, पटना से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया था। विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 20249/2012 एवं तत्पश्चात् एम0 जे0 सी0 सं0 2106/2013 दायर किया गया था। उक्त याचिका में दिनांक 03.01.2014 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में तत्कालीन प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 07.01.2014 को आदेश पारित किया गया था। तत्पश्चात् श्री सिन्हा द्वारा उक्त मामले को माननीय उच्च न्यायालय पटना से वापस ले लिया गया था।

5. उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित वस्तुस्थिति के आलोक में E-Rickshaw के संबंध में विभागीय अधिसूचना 1425 दिनांक 16.03.2016 निर्गत है। जिसके तहत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत जाँच एजेन्सी से प्रदत्त Type Approval Certificate के आधार पर बिहार राज्य में E-Rickshaw की बिक्री एवं परिचालन हेतु निबंधन की स्वीकृति दी जा रही है।

6. श्री सिन्हा द्वारा समर्पित किये गये सभी दस्तावेज व प्रमाणों के आधार पर तथा माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के W. P.–28674(W)/2014 में दिनांक 12.05.2015 को पारित आदेश के क्रम में श्री सिन्हा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किये गये पक्ष के आलोक में बिहार राज्य में परिचालित E-Rickshaw के निर्माता और आपूर्तिकर्ता/आयातक–निर्यातक को यह निर्देश दिया जाता है कि वे मेसर्स Jaspar Motors Pvt. Ltd. पटना के साथ Patent से संबंधित विवाद आपसी विमर्श से निपटारा करें। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस निदेश के साथ यह मामला निष्पादित किया जाता है।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 02/सी0एम0टी0–80/2012 5551 पटना, दिनांक– 14/9/16

प्रतिलिपि– श्री कनिष्क सिन्हा, निदेशक Jaspar Motors Pvt. Ltd. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 02/सी0एम0टी0–80/2012 5551 पटना, दिनांक– 14/9/16

प्रतिलिपि– राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग को इस निदेश के साथ कि इस आदेश की प्रति राज्य में परिचालित E-Rickshaw आयातक–निर्यातक को अविलम्ब प्रेषित करें।

2. आदेश की प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु रक्षित।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।